

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए विधान सभा मार्ग,  
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी  
उत्तर प्रदेश।

7601-75

16

पत्रांक-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./आर.आई./वी.एच.एन.डी./2018-19/50 दिनांक: अक्टूबर, 2018  
विषय: ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वी0एच0एन0डी0) की  
मॉनिटरिंग हेतु वी0एच0एन0डी0 एप्लिकेशन के उपयोग के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।  
महोदय,

प्रदेश मे समुदाय स्तर पर RMNCH+A संबंधी सेवाएँ प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लगभग प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर प्रत्येक माह ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन किया जाता है। इससे संबन्धित दिशा-निर्देश पत्र संख्या SPMU/NHM/RI/VHND/18-19/50/4116-75 दिनांक 20 जुलाई 2018 के माध्यम से जारी किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई, UNICEF और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों के द्वारा राज्य के विभिन्न जनपदों में स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का अवलोकन एवं अनुश्रवण किया जाता है। पर्यवेक्षक भ्रमण के दौरान एकत्रित की गई सूचनाओं को राज्य स्तर पर तत्काल उसी समय (Real Time) एक पोर्टल पर लाने के लिए वी.एच.एन.डी. एप्लिकेशन को तैयार किया गया है। यह एप्लिकेशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई के सहयोग से बनाया गया है, जिसका उपयोग ए.एन.एम तथा वी.एच.एन.डी सत्र के पर्यवेक्षकों (सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था के प्रतिनिधियों) के द्वारा किया जाएगा। एप्लिकेशन के द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण जनपद और राज्य स्तर पर किया जाएगा। साथ ही विश्लेषण को विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाले बैठकों में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे कि उन पर चर्चा हो सके और ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। इस एप्लिकेशन के उपयोग से वी.एच.एन.डी. सत्र पर आशा की उपस्थिति के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। वी.एच.एन.डी. का अनुश्रवण (Monitoring) करने वाले अधिकारियों एवं ए.एन.एम. के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं।

**अनुश्रवणकर्ता/पर्यवेक्षक (Monitor) के लिए आवश्यक निर्देश -**

1. वी.एच.एन.डी. एप्लिकेशन केवल एंड्राइड संस्करण में उपलब्ध हैं।
2. उपयोगकर्ता गूगल प्ले स्टोर से वी.एच.एन.डी एप्लिकेशन का Android संस्करण डाउनलोड (VHND APP) कर सकते हैं। (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tattvafoundation.vhndapp>)
3. वी.एच.एन.डी एप्लिकेशन का उपयोग करते समय पहली बार उपयोगकर्ता को होम स्क्रीन पर पंजीकरण लिंक पर क्लिक करके खुद को पंजीकृत करना होगा।
4. उपयोगकर्ता को पंजीकरण फॉर्म पर सभी विवरण प्रस्तुत करना होगा।
5. उपयोगकर्ता के पंजीकरण अनुरोध को राज्य टीम के द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
6. राज्य टीम से अनुमोदन होने पर उपयोगकर्ता को एसएमएस (SMS) के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि उसका अकाउंट सक्रिय हो गया है।
7. अब पंजीकरण के समय स्वयं प्रमाणित यूजर आई. डी. (मोबाइल नंबर) एवं पासवर्ड का उपयोग कर उपयोगकर्ता एप्लिकेशन में लॉग-इन कर सकते हैं।
8. उपयोगकर्ता को वी.एच.एन.डी. चेकलिस्ट में दिये गए सभी सवालों का जवाब देना होगा।
9. पर्यवेक्षकों को वी.एच.एन.डी. साइट पर उसी दिन चेकलिस्ट भरनी होगी। चेकलिस्ट भरते समय इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। चेकलिस्ट को ऑफलाइन भी भरा जा सकता है।
10. चेकलिस्ट के नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट करने के बाद उपयोगकर्ता चेकलिस्ट में दर्ज डाटा को नहीं बदल सकेंगे।
11. सबमिशन के बाद उपयोगकर्ता को डाटा सिंक करना है। डाटा सिंक्रोनाइजेशन (Synchronization) किसी भी स्थान से किया जा सकता है लेकिन इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी।

**ए०एन०एम० के लिए आवश्यक निर्देश -**

1. वी.एच.एन.डी एप्लिकेशन केवल एंड्राइड संस्करण में उपलब्ध है।
2. उपयोगकर्ता गूगल प्ले स्टोर से एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं।  
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tattvafoundation.vhndapp>)
3. एप्लिकेशन का उपयोग करते समय पहली बार उपयोगकर्ता को होम स्क्रीन पर पंजीकरण लिंक पर क्लिक करके खुद को पंजीकृत करना होगा।
4. उपयोगकर्ता को पंजीकरण फॉर्म पर सभी विवरण प्रस्तुत करना होगा। मोबाइल नंबर मैपिंग प्लैटफॉर्म के तहत बी०सी०पी०एम० द्वारा भरे डाटा से मेल खाना चाहिए।
5. ए०एन०एम० को अपने उपकेंद्र का चयन ड्राप डाउन लिस्ट से करना चाहिए। यदि सब-सेंटर या ए०एन०एम० का नाम पंजीकरण पृष्ठ के तहत ड्राप डाउन लिस्ट में प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो ए०एन०एम० को मैपिंग प्लैटफॉर्म से मैपिंग डाटा में सुधार के लिए बी०सी०पी०एम० से संपर्क करना चाहिए।
6. मैपिंग प्लैटफॉर्म के तहत बीसीपीएम द्वारा मैप किए गए ए०एन०एम० को वी.एच.एन.डी. एप्लिकेशन के तहत पंजीकृत करने की अनुमति दी जाएगी।
7. पंजीकरण के बाद, पंजीकरण के समय स्वयं जेनेरेट किए गए यूजर आई. डी. एवं पासवर्ड का उपयोग करके ए०एन०एम० उपयोगकर्ता एप्लिकेशन में लॉग-इन कर सकती है।
8. वी.एच.एन.डी. सत्र प्रविष्टि (Entry) के समय पहले पृष्ठ पर उपयोगकर्ता को वी.एच.एन.डी. के स्थान का विवरण प्रदान करना होगा और सत्र के लिए अपेक्षित (Expected) आशा का नाम भी देना होगा और साथ ही उसकी उपस्थिति की पुष्टि करनी होगी। यदि आशा का नाम एप्लिकेशन में प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो अपने बीसीपीएम से संपर्क करें और इसे मैपिंग प्लैटफॉर्म के तहत अपडेट करें।
9. ए०एन०एम० को वीएचएनडी चेकलिस्ट में दिये गए सभी सवालों का जवाब देना होगा।
10. वी.एच.एन.डी. साइट पर उसी दिन चेकलिस्ट भरनी होगी।
11. चेकलिस्ट के नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट करने के बाद उपयोगकर्ता चेकलिस्ट में दर्ज डाटा को नहीं बदल सकेंगे।
12. सबमिशन के बाद उपयोगकर्ता को डाटा सिंक करना होगा। डाटा सिंक्रनाइजेशन (Synchronization) किसी भी स्थान से किया जा सकता है लेकिन इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी।

एप्लिकेशन से संबन्धित किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर-6386133016 पर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार ए०एन०एम० एवं मॉनिटर द्वारा वी.एच.एन.डी एप्लिकेशन का समुचित उपयोग किया जाये, जिससे वी.एच.एन.डी. में प्रदान की जाने वाली मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

भवदीय,



(डा० वेद प्रकाश)

महाप्रबन्धक-आर०आई०  
तददिनांक

पत्रांक-एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / आर.आई. / वी.एच.एन.डी. / 2018-19 / 50  
प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, शासन।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
3. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
4. अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश, नकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
6. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
10. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक / जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
13. न्यूट्रीशन अधिकारी, यूनीसेफ, बी-3 / 258, विशाल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ, उ०प्र०।

(डा० वेद प्रकाश)

महाप्रबन्धक-आर०आई०

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए विधान सभा मार्ग,  
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./आर.आई./वी.एच.एन.डी./2018-19/50 दिनांक: अक्टूबर, 2018  
विषय: ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वी0एच0एन0डी0) की  
मॉनिटरिंग हेतु वी0एच0एन0डी0 एप्लिकेशन के उपयोग के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।  
महोदय,

प्रदेश मे समुदाय स्तर पर RMNCH+A संबंधी सेवाएँ प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लगभग प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर प्रत्येक माह ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन किया जाता है। इससे संबंधित दिशा-निर्देश पत्र संख्या SPMU/NHM/RI/VHND/18-19/50/4116-75 दिनांक 20 जुलाई 2018 के माध्यम से जारी किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई, UNICEF और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों के द्वारा राज्य के विभिन्न जनपदों में स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का अवलोकन एवं अनुश्रवण किया जाता है। पर्यवेक्षक भ्रमण के दौरान एकत्रित की गई सूचनाओं को राज्य स्तर पर तत्काल उसी समय (Real Time) एक पोर्टल पर लाने के लिए वी.एच.एन.डी. एप्लिकेशन को तैयार किया गया है। यह एप्लिकेशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई के सहयोग से बनाया गया है, जिसका उपयोग ए.एन.एम तथा वी.एच.एन.डी सत्र के पर्यवेक्षकों (सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था के प्रतिनिधियों) के द्वारा किया जाएगा। एप्लिकेशन के द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण जनपद और राज्य स्तर पर किया जाएगा। साथ ही विश्लेषण को विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाले बैठकों में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे कि उन पर चर्चा हो सके और ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। इस एप्लिकेशन के उपयोग से वी.एच.एन.डी. सत्र पर आशा की उपस्थिति के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। वी.एच.एन.डी. का अनुश्रवण (Monitoring) करने वाले अधिकारियों एवं ए.एन.एम. के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं।

**अनुश्रवणकर्ता/पर्यवेक्षक (Monitor) के लिए आवश्यक निर्देश -**

1. वी.एच.एन.डी. एप्लिकेशन केवल एंड्रॉइड संस्करण में उपलब्ध हैं।
2. उपयोगकर्ता गूगल प्ले स्टोर से वी.एच.एन.डी. एप्लिकेशन का Android संस्करण डाउनलोड (VHND APP) कर सकते हैं। (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tattvafoundation.vhndapp>)
3. वी.एच.एन.डी. एप्लिकेशन का उपयोग करते समय पहली बार उपयोगकर्ता को होम स्क्रीन पर पंजीकरण लिंक पर क्लिक करके खुद को पंजीकृत करना होगा।
4. उपयोगकर्ता को पंजीकरण फॉर्म पर सभी विवरण प्रस्तुत करना होगा।
5. उपयोगकर्ता के पंजीकरण अनुरोध को राज्य टीम के द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
6. राज्य टीम से अनुमोदन होने पर उपयोगकर्ता को एसएमएस (SMS) के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि उसका अकाउंट सक्रिय हो गया है।
7. अब पंजीकरण के समय स्वयं प्रमाणित यूजर आई. डी. (मोबाइल नंबर) एवं पासवर्ड का उपयोग कर उपयोगकर्ता एप्लिकेशन में लॉग-इन कर सकते हैं।
8. उपयोगकर्ता को वी.एच.एन.डी. चेकलिस्ट में दिये गए सभी सवालों का जबाब देना होगा।
9. पर्यवेक्षकों को वी.एच.एन.डी. साइट पर उसी दिन चेकलिस्ट भरनी होगी। चेकलिस्ट भरते समय इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। चेकलिस्ट को ऑफलाइन भी भरा जा सकता है।
10. चेकलिस्ट के नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट करने के बाद उपयोगकर्ता चेकलिस्ट में दर्ज डाटा को नहीं बदल सकेंगे।
11. सबमिशन के बाद उपयोगकर्ता को डाटा सिंक करना है। डाटा सिंक्रोनाईजेसन (Synchronization) किसी भी स्थान से किया जा सकता है लेकिन इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी।

## ए०एन०एम० के लिए आवश्यक निर्देश -

1. वी.एच.एन.डी एप्लिकेशन केवल एंड्राइड संस्करण में उपलब्ध है।
2. उपयोगकर्ता गूगल प्ले स्टोर से एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tattvafoundation.vhndapp>)
3. एप्लिकेशन का उपयोग करते समय पहली बार उपयोगकर्ता को होम स्क्रीन पर पंजीकरण लिंक पर क्लिक करके खुद को पंजीकृत करना होगा।
4. उपयोगकर्ता को पंजीकरण फॉर्म पर सभी विवरण प्रस्तुत करना होगा। मोबाइल नंबर मैपिंग प्लैटफॉर्म के तहत वी०सी०पी०एम० द्वारा भरे डाटा से मेल खाना चाहिए।
5. ए०एन०एम० को अपने उपकेंद्र का चयन ड्रॉप डाउन लिस्ट से करना चाहिए। यदि सब-सेंटर या ए०एन०एम० का नाम पंजीकरण पृष्ठ के तहत ड्रॉप डाउन लिस्ट में प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो ए०एन०एम० को मैपिंग प्लैटफॉर्म से मैपिंग डाटा में सुधार के लिए वी०सी०पी०एम० से संपर्क करना चाहिए।
6. मैपिंग प्लैटफॉर्म के तहत वीसीपीएम द्वारा मैप किए गए ए०एन०एम० को वी.एच.एन.डी. एप्लिकेशन के तहत पंजीकृत करने की अनुमति दी जाएगी।
7. पंजीकरण के बाद, पंजीकरण के समय स्वयं जेनरेट किए गए यूजर आई. डी. एवं पासवर्ड का उपयोग करके ए०एन०एम० उपयोगकर्ता एप्लिकेशन में लॉग-इन कर सकती है।
8. वी.एच.एन.डी. सत्र प्रविष्टि (Entry) के समय पहले पृष्ठ पर उपयोगकर्ता को वी.एच.एन.डी. के स्थान का विवरण प्रदान करना होगा और सत्र के लिए अपेक्षित (Expected) आशा का नाम भी देना होगा और साथ ही उसकी उपस्थिति की पुष्टि करनी होगी। यदि आशा का नाम एप्लिकेशन में प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो अपने वीसीपीएम से संपर्क करें और इसे मैपिंग प्लैटफॉर्म के तहत अपडेट करें।
9. ए०एन०एम० को वीएचएनडी चेकलिस्ट में दिये गए सभी सवालों का जवाब देना होगा।
10. वी.एच.एन.डी. साइट पर उसी दिन चेकलिस्ट भरनी होगी।
11. चेकलिस्ट के नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट करने के बाद उपयोगकर्ता चेकलिस्ट में दर्ज डाटा को नहीं बदल सकेंगे।
12. सबमिशन के बाद उपयोगकर्ता को डाटा सिंक करना होगा। डाटा सिंक्रोनाइजेशन (Synchronization) किसी भी स्थान से किया जा सकता है लेकिन इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी।

एप्लिकेशन से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर-6386133016 पर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार ए०एन०एम० एवं मॉनिटर द्वारा वी.एच.एन.डी एप्लिकेशन का समुचित उपयोग किया जाये, जिससे वी.एच.एन.डी. में प्रदान की जाने वाली मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

भवदीय,

(डा० वेद प्रकाश)

7601-75(3)

महाप्रबन्धक-आर०आई०  
तददिनांक

पत्रांक-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./आर.आई./वी.एच.एन.डी./2018-19/50

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, शासन।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
3. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
4. अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश, नकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
6. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
10. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
13. न्यूट्रीशन अधिकारी, यूनीसेफ, बी-3/258, विशाल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ, उ०प्र०।

(डा० वेद प्रकाश)

महाप्रबन्धक-आर०आई०